

पत्र संख्या /

/समिति गठन (अपील फाइलिंग-प्रक्रिया) / 2019-20/

453

/वाणिज्य कर

कार्यालय

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 09 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत **Appeals to Appellate Authority** से सम्बन्धित प्राविधान अंकित हैं। उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 नियमावली के नियम 108 में अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर किये जाने तथा दायर अपीलों हेतु प्रोविजनल / फाइनल एक्नॉलेजमेन्ट जारी किये जाने की व्यवस्था है।

2. नियमावली के उक्त सन्दर्भित प्राविधानों के अनुसार धारा 107 (1) के अन्तर्गत अपीलेट अथारिटी के समक्ष अपील फार्म जी0एस0टी0 ए0पी0एल0-01 में **Relevant Documents** के साथ इलेक्ट्रानिकली अथवा ऐसी रीति, जैसा कमिश्नर द्वारा नोटिफाई किया जाये, से फाइल किए जाने की व्यवस्था है।

3. जी0एस0टी0 व्यवस्था में समस्त प्रक्रिया जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन सम्पादित की जानी है किन्तु जी0एस0टी0 क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में जी0एस0टी0एन0 के स्तर से (प्रवर्तन)अपील मॉड्यूल पूर्णतया डेवलप न हो पाने के कारण मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(2) अपील फाईल कि प्रक्रिया निर्धारण (जी0एस0टी0)/17-18/1054/ वा0कर दिनांक 24 नवम्बर 2017 से अपीलेट अथारिटी के समक्ष अपील मैनुअली दायर किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

4. जी0एस0टी0एन0 द्वारा अपील माड्यूल डेवलप करके **Live** कर दिया गया है, किन्तु अपीलीय कार्यालयों की मैपिंग उनके क्षेत्राधिकार से भिन्न न्यायिक संभागों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रवर्तन कार्यालयों से न हो पाने के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पारित किये जा रहे आदेशों के विरुद्ध दायर होने वाली अपीलों अभी भी मैनुअली दाखिल हो रही हैं। कुछ अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील कार्यालयों में हार्डवेयर / कनेक्टिविटी आदि से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित समस्याएँ भी मुख्यालय के संज्ञान में लायी गई हैं।

5. अपील फाइलिंग एवं अब तक फाइल की गई अपील के सम्बन्ध में प्रोविजनल/फाइनल एक्नॉलेजमेन्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया में आ रही सभी प्रकार की विधिक /व्यावहारिक कठिनाईयों का सम्यक अध्ययन करते हुए प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पारित किये जा रहे आदेशों के विरुद्ध फाइल होने वाली अपीलों सहित सभी प्रकार की अपीलों पूर्णतया इलेक्ट्रानिक मोड में फाइल किये जाने की प्रक्रिया सुचारु रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव हेतु विभिन्न न्यायिक संभागों में तैनात अधिकारियों की एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम
1.	श्री विनय (अध्यक्ष)	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) नोयडा
2.	श्री अनन्जय कुमार राय (सदस्य)	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) अलीगढ़
3.	श्री एस0पी0सिंह (सदस्य)	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) गोरखपुर
4.	श्री एम0एस0 चौबे (सदस्य)	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) अयोध्या
5.	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (सदस्य)	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) गाजियाबाद

समिति द्वारा किए जाने वाले अध्ययन के संदर्भ बिन्दु निम्नवत् है:-

1. समिति द्वारा सभी न्यायिक संभागों में तैनात अपीलीय अधिकारियों से ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क करते हुए सभी न्यायिक संभागों में दायर हो रही अपीलों के ऑन लाइन दाखिला, विधिक उपबन्धों के आलोक में अपील फाइलिंग की प्रक्रिया, अपीलीय न्यायालयों में कनेक्टिविटी आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित समस्याओं को

संकलित किया जायेगा । समिति द्वारा अपील दाखिला के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 अधिनियम कीधारा-107 के सभी उपबन्धों विशेष रूप से 107(1), 107(6), नियम 108 के प्राविधानों, धारा-49 एवं सुसंगत नियमों एवं अधिनियम/नियमावली के अन्य प्राविधानों का सम्यक् अध्ययन करते हुए अपील फाइलिंग एवं अब तक फाइल की गई अपीलों के प्रोविजनल एवं फाइनल एक्नॉलेजमेन्ट के सम्बन्ध में आ रही विधिक तथा व्यावहारिक कठिनाईयों को इंगित करते हुए सभी प्रकार की अपीलों की ऑन लाइन प्रक्रिया सुचारु रूप से प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30 अगस्त 2019 तक प्रस्तुत किया जायेगा ।

2. समिति के अनुसार यदि मुख्यालय द्वारा जारी किसी आदेश अथवा परिपत्र में कोई संशोधन अपेक्षित है, तो तत्संबंध में समिति द्वारा अलग से सुविचारित प्रस्ताव एडीशनल कमिश्नर (विधि/जी0एस0टी0) मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3. समिति द्वारा अपनी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर अपील से सम्बन्धित विधिक एवं व्यावहारिक कठिनाईयों एवं उनके निवारण हेतु सुझाव विषय पर एक प्रस्तुतीकरण भी तैयार किया जाएगा, जिसे अपीलीय अधिकारियों हेतु आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. समिति द्वारा अधीनस्थ एडजुडिकेटिंग अथारिटीज द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों / निर्णयों में गुणात्मक सुधार हेतु ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए जायेंगे, जिन्हें अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री के रूप में प्रसारित किया जाएगा ।

(i). समिति की अपेक्षानुसार आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय द्वारा समिति को वांछित तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

(ii). समिति की अपेक्षानुसार समिति के सदस्यों की एक बैठक जी0एस0टी0एन0 के साथ आयोजित कराने की व्यवस्था आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय के स्तर से की जायेगी ।

(iii). समिति की अपेक्षानुसार करनिर्धारण एवं प्रवर्तन विंग में तैनात अधिकारियों के लॉगिंग आई0डी0 पर उपलब्ध विभिन्न ऑन लाइन मॉड्यूल्स के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा एन0सी0आर0 रीजन में तैनात 03 अधिकारियों को समिति के सहयोगार्थ आबद्ध किया जा सकेगा, किन्तु सहयोगार्थ आबद्ध किये गये अधिकारी समिति के सदस्य नहीं होंगे ।



(अमृता सोनी)

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

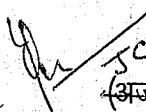
प्रतिलिपि:-

1. समिति के सभी सदस्यों को अनुपालन हेतु ।

2. समस्त जोन एडीशनल कमिश्नर / समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) मुख्यालय को अनुपालन हेतु ।

4. ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) मुख्यालय को सूचनार्थ ।



(अंशु कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर (विधि/जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।